न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील नम्बर :– 23/2021 (जीसीएमएस न02021/23)
उनवानी प्रकरण :–

राजू पुत्र नूर मौहम्मद जाति तेली उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम कुरैंधा तहसील सैपऊ जिलाधौलपुर ----------अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर ----- रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.04.2019 नायव तहसीलदार बसईनबाव प्र.सं. 870/2019 उनवानी राज0 सरकार बनाम राजू अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–
1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–. 27.07.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायव तहसीलदार बसईनबाव के निर्णय दिनांक 29.04.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रैस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को ग्राम कुरैंधा स्थित आराजी ख0न0 1002/737 रकवा 06 विस्वा तथा 1009/813 रकवा 01 बीघा पर अतिकमी मानते हुये राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत 195 रू0 शास्ति वसूल करने तथा फसल को जब्त कर कर नीलाम करने तथा आराजी से अपीलान्ट को बेदखल करने आदेश पारित किया है। उक्त आदेश से असन्तुष्ठ होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत है तथा

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सबूतों पर न तो कोई ध्यान दिया तथा न ही उनका उल्लेख अपने निर्णय में किया। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर करीब 25 वर्षो निरतंर कब्जा है तथा वह नियमन का पात्र है। वर्ष 2006 में तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रार्थी के विरूद्व धारा 91 एल आर एक्ट के अधीन कार्यवाही की गई जिसका प्रकरण कमांक 661/06 उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रार्थी नियमन का पात्र मानते हुये दिनांक 5.4.06 को पत्रावली नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को प्रेषित करदी। इसके उपरान्त वर्ष 2007 में भी प्रकरण कमांक 822/07 के माध्यम से कार्यवाही की गई तथा दिनांक 5.4.06 को पारित आदेश के आधार पर नियमन का प्रकरण निस्तारित होने तक कार्यवाही लम्बित रखी गई। यही प्रकिया वर्ष 2008 में प्रकरण कमांक 396/08 में अपनाई गई तथा वर्ष 2011 में प्रकरण कमांक 470/11, वर्ष 2013 में प्रकरण कमांक 610/13, वर्ष 2014 में प्रकरण कमांक 495/14, वर्ष 2015 प्रकरण कमांक 650/15, वर्ष 2016 में प्रकरण कमांक 507/16, वर्ष 2017 में प्रकरण कमांक 281/17 तथा वर्ष 2018 में प्रकरण कमांक 912/2018 में रैस्पोडेन्ट द्वारा अपनाई गई। प्रार्थी के पुराने कब्जे को रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वीकार किया गया है तथा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी के नियमन का प्रकरण विचाराधीन है तो फिर नियमन की पत्रावली लम्बित रहते प्रार्थी के विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। रेस्पोडेन्ट अपने कथन से इस्टोपब्ड है। प्रार्थी द्वारा आदेश की सत्यप्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 3.5.19 को आवेदन कर दिया था जिस पर उसे नकल दिनांक 4.6.19 को प्रदान की गई। नकल मिलने में लगे समय को मुक्त कर अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.04.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल आदेश तारीख 12.3.18 वसईनबाव, नकल आदेश तारीख 2.3.17 वसईनबाव, नकल आदेश तारीख 3.2.16 वसईनबाव, नकल आदेश तारीख 26.2.15 वसईनबाव, नकल आदेश तारीख 20.2.14 सैपऊ, नकल आदेश तारीख 27.2.13 सैपऊ, नकल आदेश तारीख 25.2.11 सैपऊ, नकल आदेश तारीख 20.2.08 सैपऊ, नकल आदेश तारीख 23.5.07 सैपऊ, नकल आदेश तारीख 05.10.06 सैपऊ, फोटोप्रति पेश की है।

(आर0 के0 जायसवा...
जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी तथा पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद मानी जाती है।

उभय पक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर करीब 25 वर्ष निरतंर कब्जा है तथा वह नियमन का पात्र है। वर्ष 2006 में तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रार्थी के विरूद्व धारा 91 एल आर एक्ट के अधीन कार्यवाही की गई जिसका प्रकरण क्रमांक 661/06 उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रार्थी नियमन का पात्र मानते हुये दिनांक 5.4.06 को पत्रावली नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को प्रेषित करदी। इसके उपरान्त वर्ष 2007 में भी प्रकरण क्रमांक 822/07 के माध्यम से कार्यवाही की गई तथा दिनांक 5.4.06 को पारित आदेश के आधार पर नियमन का प्रकरण निस्तारित होने तक कार्यवाही लम्बित रखी गई। यही प्रक्रिया निरन्तर अव तक चली आ रही है। नियमन की पत्रावली लम्बित रहते प्रार्थी के विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि नियमन की कार्यवाही पृथक से की जाती है। अपीलान्ट की विवादित भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है परन्तु उनके द्वारा कोई जबाव व साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2019 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर करीब 25 वर्षो से निरतंर कब्जा है तथा वह नियमन का

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

पात्र है। वर्ष 2006 में तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रार्थी के विरूद्व धारा 91 एल आर एक्ट के अधीन कार्यवाही की गई जिसका प्रकरण कमांक 661/06 उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को नियमन का पात्र मानते हुये दिनांक 5.4.06 को पत्रावली नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को प्रेषित करदी। इसके उपरान्त वर्ष 2007 में भी प्रकरण कमांक 822/07 के माध्यम से कार्यवाही की गई तथा दिनांक 5.4.06 को पारित आदेश के आधार पर नियमन का प्रकरण निस्तारित होने तक कार्यवाही लम्बित रखी गई। यही प्रकिया निरन्तर अव तक चली आ रही है। नियमन की पत्रावली लम्बित रहते प्रार्थी के विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है।

अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा स्वीकार किया है। अपीलान्ट नियमन पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते है। विधि अनुसार धारा 91 कार्यवाही अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं दिए जा सकते है, अपीलान्ट यदि प्रश्नगत भूमि पर अपना अधिकार मानते है तो सक्षम न्यायालय से धोषणा कराने को स्वतन्त्र है। हमारे समक्ष यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट का बिना कोई वैध अधिकार कब्जा है। अतः हम आक्षेपित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनिय है कि तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को नियमन का पात्र मानते हुये दिनांक 5.4.06 को पत्रावली नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को प्रेषित करदी। इसके उपरान्त वर्ष 2007 में भी प्रकरण कमांक 822/07 के माध्यम से कार्यवाही की गई तथा दिनांक 5.4.06 को पारित आदेश के आधार पर नियमन का प्रकरण निस्तारित होने तक कार्यवाही लम्बित रखी गई। यही प्रकिया निरन्तर अव तक चली आ रही है जो नियमों के विपरित है। नियमन की पत्रावली निस्तारण होने तक धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को लम्बित रखा जाना न्यायोचित नहीं है तथा राजस्व की हानि है। अतः इस सम्बध में सम्बधित तहसीलदार के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलक्ट्रेट धौलपुर को भिजवाई जावे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
आर0 ए0 एस0
जिला कलक्टर, धौलपुर